

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 531] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 14, 1979/अग्रहायण 23, 1901
No. 531] NEW DELHI, FRIDAY, DEC. 14, 1979/AGRAHAYANA 23, 1901

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य और नागरिक पुर्ति मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

आवेश

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 1979

का. आ. 802(अ).—केन्द्रीय सरकार की, आसाम के कामरूप जिले में स्थित बरदार चाय सम्पदा नामक चाय एकक की बाबत, जिसका रजिस्ट्रार कार्यालय 19, सर्कुलर गार्डन रीच रोड, कलकत्ता-23 में है, यह राय है कि, —

- (क) चाय एकक की वर्ष 1974 से 1978 के दौरान औसत उपज, जिला उपज के 25 प्रतिशत से कम रही है ; और
- (ख) चाय एकक का प्रबंध ऐसी रीति से किया जा रहा है जो चाय उद्योग और लोकाहित के लिए उपायकर है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 16-ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

उक्त चाय एकक के कार्यों का पूर्णतः अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए, एक निकाय की नियुक्ति करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

- (1) श्री एस. एस. नन्दकेय्यार, चाय विकास निदेशक, चाय बोर्ड ।
- (2) श्री ए. दत्त, वित्तीय सहायक और मुख्य लेखा अधिकारी, चाय बोर्ड ।
- (3) श्री बी. के. भुयान, कृषि उपज आयुक्त, आसाम सरकार, दिसपुर, गौहाटी ।
- (4) श्री ए. के. राय चौधरी, उप सलाहकार (वित्त) ब्यूरो आफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, सूर्य भवन, नई दिल्ली ।
- (5) श्री आर. सी. निगम, संयुक्त निदेशक (लेखा) प्रदेश निदेशक का कार्यालय, कम्पनी ला बोर्ड, कलकत्ता ।

उक्त निकाय, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 90 दिन की अवधि के भीतर, उक्त सरकार की अपनी रिपोर्ट देगा ।

[फा. सं. बी-12012(3)/79-प्लाण्ट-(ए)]

डी. डब्ल्यू. तेलंग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES
(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 14th December, 1979

S.O. 802(E).—Whereas the Central Government is of opinion in respect of the tea unit known as Barduar Tea Estate situated in the District Kamrup of Assam, and having its registered office at 19, Circular Garden Reach Road, Calcutta-23, that :—

- (a) the average yield of the tea unit during the years 1974 to 1978 has been lower than the District yield by twenty-five per cent ; and
- (b) the tea unit is being managed in a manner highly detrimental to the tea industry and to public interest.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 16B of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), the Central Government hereby appoints for the purpose of making a full and complete investigation into the affairs of the said tea unit, a body of persons consisting of :

- (1) Shri S. S. Nandkeolyar, Director of Tea Development, Tea Board, Calcutta.
- (2) Shri A. Dutta, Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Tea Board, Calcutta.
- (3) Shri B. K. Bhuyan, Agri-Production Commissioner, Government of Assam, Dispur, Gauhati.
- (4) Shri A. K. Roychowdhury, Deputy Adviser (Finance), Bureau of Public Enterprises, Mayur Bhavan, New Delhi.
- (5) Shri R. C. Nigam, Joint Director (Accounts), Office of the Regional Director, Company Law Board, Calcutta

The said body shall submit its report to the Central Government within a period of 90 days from the date of publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. B-12012(3)/79-Plant(A)]

D. W. TELANG, Jt. Secy.